राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 986/2011

सुरेश चन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, SWRPD, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.07.2011

आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एफ.बेग, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि दिनांक 07.11.1975 से 23.03.1979 की सेवा अवधि नगर नियोजन विभाग में मानी जावे तथा पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जावे तथा समस्त वेतन भत्ते आदि मय पारिणामिक लाभ सहित प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यालय मुख्य नगर नियोजन एवं आर्किटेक्चर एडवाइजर में दिनांक 24.10.1975 को वेतन श्रृंखला 180–425 में हुई थी और अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.1979 तक कार्य किया, जिसमें सेवा के दौरान नियमित वेतन वृद्धि भी प्रदान की गई। अपीलार्थी ने प्रोपर चैनल के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता जल संसाधन विभाग में आवेदन किया और अपीलार्थी उक्त पद पर नियुक्त हुआ तथा आदेश दिनांक 20.03.1979 को पदस्थापित किया गया तथा दिनांक 23.03.1979 को अपीलार्थी पूर्व नियोजक द्वारा कार्यमुक्त किया गया। परंतु अपीलार्थी की सेवायें जल संसाधन विभाग में नये सिरे से नये कार्मिक के रूप में मानी गई तथा उसे कोई पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग से कई बार अनुरोध किया, परंतु कोई विचार नहीं किया गया और दिनांक 31.05.2010 को अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की उक्त अवधि की सेवाओं पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मात्र पेंशन लाभ आदि के उद्देश्य से विचार किया गया। जबकि अपीलार्थी जल संसाधन विभाग में कार्यग्रहण करते समय पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। परंतु अपीलार्थी को पूर्व के पद का पे प्रोटेक्शन में लाभ नहीं दिया गया, जो सेवा नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20/2020 श्रीमती सुशीला पत्नी श्री विजय कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यदि कार्मिक पूर्व से नियमित सेवा में है तो उसे उच्च एवं समान नवीन पद पर चयन होने पर पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाना सही माना है। इसी प्रकार अपीलार्थी भी पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु विभाग द्वारा उसे उक्त लाभ नहीं दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि दिनांक 07.11.1975 से 23.03.1979 की सेवा अवधि नगर नियोजन विभाग में मानी जावे तथा पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जावे तथा समस्त वेतन भत्ते आदि मय पारिणामिक लाभ सहित प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2010 द्वारा दिनांक 07.11.1975 से 23.03.1979 तक नगर नियोजन विभाग में अपीलार्थी द्वारा की गई सेवा अवधि को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 25(2) के तहत पेंशन प्रयोजनार्थ जोडे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अपीलार्थी को दिनांक 30.12.2010 के द्वारा एसीपी प्रकरण स्वीकृत किया गया। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को परिलाभ प्रदान किया जाना शेष नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यालय मुख्य नगर नियोजन एवं आर्किटेक्चर एडवाइजर में दिनांक 24.10.1975 को वेतन श्रृंखला 180–425 में हुई थी और अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.1979 तक कार्य किया, जिसमें सेवा के दौरान नियमित वेतन वृद्धि भी प्रदान की गई। अपीलार्थी ने प्रोपर चैनल के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता जल संसाधन विभाग में आवेदन किया और अपीलार्थी उक्त पद पर नियुक्त हुआ तथा आदेश दिनांक 20.03.1979 को पदस्थापित किया गया तथा दिनांक 23.03.1979 को अपीलार्थी पूर्व नियोजक द्वारा कार्यमुक्त किया गया। परंतु अपीलार्थी की सेवायें जल संसाधन विभाग में नये सिरे से नये कार्मिक के रूप में मानी गई तथा उसे कोई पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग से कई बार अनुरोध किया, परंतु कोई विचार नहीं किया गया और दिनांक 31.05.2010 को अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा पूर्व में नगर नियोजन विभाग में दिनांक 07.11.1975 से 23.03.1979 की सेवा अवधि का लाभ तथा पूर्व की नियमित सेवा को मानते हुये नये विभाग में नवीन पद पर पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यालय मुख्य नगर नियोजन एवं आर्किटेक्चर एडवाइजर में दिनांक 24.10.1975 को वेतन श्रृंखला 180–425 में हुई थी, जो नियमित सेवा थी और विभाग द्वारा आदेश दिनांक 30.12.2010 के द्वारा अपीलार्थी को एसीपी प्रकरण स्वीकृत किया गया तथा दिनांक 31.05.2010 के द्वारा दिनांक 07.11.1975 से 23.03.1979 तक नगर नियोजन विभाग

में अपीलार्थी द्वारा की गई सेवा अवधि को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 25(2) के तहत पेंशन प्रयोजनार्थ जोडे जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की सेवायें नियमित सेवायें थीं। अपीलार्थी का प्रोपर चैनल के माध्यम से आवेदन उपरांत उसका जल संसाधन विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर चयन हुआ है, परंतु विभाग द्वारा उसे पूर्व की नियमित सेवा अवधि के आधार पर नवीन पद पर पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20/2020 श्रीमती सुशीला पत्नी श्री विजय कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 में ऐसे मामलों में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं :–

> *"A co-ordinate Bench judgment of this Court in case of Praveen Kumar Yadav Vs State of Rajasthan & Ors., SBCWP No. 9500/2007 vide its judgment dated 24.08.2016, held as under: "It is manifest from reading of the second proviso to Rule 24 of the Rules that the pay of the government servant who was already in regular service of the State and has been appointed as probationer trainee for a period of two years on or after 20.01.2006 shall be protected. Therefore, the pay of the petitioner is to be protected as he was already a government servant when he was appointed as Teacher Grade-III at Ajmer District vide order dated 23.03.2005. Indisputably, there is no break in the service of the petitioner and he was working at Ajmer before joining a subsequent place of posting at Alwer in terms of the later advertisement. In view of the above, the petition is allowed and the respondents are directed to (4of4) [CW-20/2020] protect the pay of the petitioner in terms of Rule 24."*
>
> *The aforesaid dictum in case of Praveen Kumar Yadav (supra) has been followed by this Court in the cases of Chandra Kala Saini Vs. State of Rajasthan Ors., SBCWP No. 18703/2017, decided on 17.01.2017 and other connected matters and Sunil Kumar Poonia (supra) and Mansingh Meena and The State of Rajasthan, SBCWP No. 11684/2019, decided on 30.11.2021.*
>
> *Thus, from the aforesaid statutory provisions contained in the Rules of 1951 and the judgments of this Court, there is no doubt as the entitlement of the petitioner for pay protection in view of services rendered by her from 17.07.2013 till 18.06.2016 as PTI*

Grade-III and contention of the learned counsel for the respondents that her appointment vide order dated 05.06.2016 being fresh, she is disentitled for pay protection, does not merit acceptance.

In view thereof, the writ petition is allowed. The respondents are directed to extend the benefit of pay protection to the petitioner in terms of Rules 24 and 26 Rules of 1951 and pay her arrears within a period of three months from today."

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी भी पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक विनिश्चय एवं सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी को दिनांक 07.11.1995 से 23.03.1979 तक की सेवा अवधि को समस्त पारिणामिक एवं पेंशन लाभ आदि में जोडते हुये तथा पूर्व की नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुये नवीन चयनोपरांत (कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन विभाग) अपीलार्थी को नियमानुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ प्रदान किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य